WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249142
CG-DL-E-04102023-249142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4160] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 12, 1945
No. 4160] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2023/ASVINA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2023

सं. 34/2023

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 07 (ii) में संषोधन के संबंध में।

का.आ. 4331(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 (समय–समय पर यथा संशोधित) के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 07 (ii) को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है:

मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
आयातक आयात खेप के पहुंचने की प्रत्याशित तिथि से अधिकतम 60 दिन के पहले और इसके 5 दिन बाद तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। ओटोमेटिक पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। आयातक को खेप की निकासी हेतु सीमा शुल्क विभाग	आयातक गेटवे पत्तन पर खेप के पहुंचने की तिथि से अधिकतम 60 दिन पहले और खेप के पहुंचने तक (शून्य दिवस) पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। ओटोमेटिक पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। आयातक को खेप की निकासी हेतु सीमाशुल्क

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

को समर्थ बनाने हेतु प्रविष्टि बिल में पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण की समाप्ति की तिथि को दर्ज करना होगा।	विभाग को समर्थ बनाने हेतु प्रविष्टि बिल में पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण की समाप्ति की तिथि को दर्ज करना होगा।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन करने की समयावधि को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम–4708/1902/2002/पीसी–2(क)/पार्ट–I/ई–33668]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2023

No. 34 /2023

Subject: Amendment in Policy condition No.07 (ii) of Chapter - 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022 reg.

S.O. 4331(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends the Policy condition No.07 (ii) of Chapter - 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022, with immediate effect**:**

Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
The importer can apply for registration not earlier than 60th day and not later than 5 days before the expected date of arrival of import consignment. The Automatic Registration Number shall remain valid for a period of 75 days. Importer shall have to enter the Registration Number and expiry date of Registration in the Bill of Entry to enable Customs for clearance of consignment.	**The importer can apply for registration not earlier than 60th day and till the arrival date (Zero Day) of consignment at gateway port.** The Automatic Registration Number shall remain valid for a period of 75 days. Importer shall have to enter the Registration Number and expiry date of Registration in the Bill of Entry to enable Customs for clearance of consignment.

2. Effect of the Notification:

Time period for applying registration under Coal Import Monitoring System (CIMS) has been revised with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-4708/1902/2002/PC-2(A)/Part-I/E-33668]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.